अप्रार्थीगण को [illegible] रजिस्टर्ड सम्मन के [illegible] किया जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

14/6/24 वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी लापता तामील अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गयी। [illegible] लापता अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/6/24 को पेश हो।

प्रा० पत्र संख्याः– 231/2024
अनिल बनाम भूमिधारी

27/6/2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 272/1 कुल रकबा 0.20 हैक्ट. का प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का दिनांक 22.05.2024 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व [illegible] गोडावास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. [illegible] कुल रकबा 0.20 हैक्ट. प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी भूमि है। [illegible] प्रार्थी व समस्त खातेदारान व पडौसी खातेदारान [illegible] सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2024 पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:46:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 272/1 कुल रकबा 0.20 हैक्ट. प्रार्थी, समस्त खातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2024 पत्थरगढ़ी की [illegible] पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा [illegible] की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु [illegible] जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रा[illegible]वीर सिंह यादव)
[illegible] अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:46:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner